Nehru School Management Journal (NSMJ)
Volume No: 11, Issue No: 1, Year: 2024
PP: 17-26
ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

वृद्धावस्था और सामाजिक उपेक्षा: भारतीय परिवार व्यवस्था के संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

कंचन कुमारी

शोधार्थी

विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा

सारांश

भारत में वृद्धावस्था अब केवल जैविक आयु-वृद्धि का प्रश्न नहीं रही, बल्कि यह परिवार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, शहरीकरण और सांस्कृतिक परिवर्तन से जुड़ा गहन समाजशास्त्रीय प्रश्न बन चुकी है। भारतीय परिवार व्यवस्था परंपरागत रूप से वृद्धजनों के संरक्षण, सम्मान और देखभाल की प्रमुख इकाई रही है, परंतु नगरीकरण, प्रवासन, रोजगारगत गतिशीलता, संयुक्त परिवार के विघटन, उपभोक्तावादी जीवन-शैली और डिजिटल अंतराल ने वृद्धजनों की सामाजिक स्थिति को जटिल बना दिया है। प्रस्तुत शोधपत्र द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित है और इसमें भारत में वृद्धजन आबादी की वृद्धि, सामाजिक उपेक्षा, पारिवारिक निर्भरता, अकेलेपन, आर्थिक असुरक्षा, अपराध और नीतिगत संरक्षण का समाजशास्त्रीय विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वृद्धजन उपेक्षा का मूल कारण केवल पारिवारिक संवेदनहीनता नहीं है, बल्कि यह संरचनात्मक परिवर्तन, आर्थिक निर्भरता, लैंगिक असमानता, स्वास्थ्यगत निर्भरता और कमजोर सामाजिक सुरक्षा तंत्र का संयुक्त परिणाम है। निष्कर्षतः भारतीय परिवार व्यवस्था को वृद्धजन-हितैषी बनाने के लिए केवल कानून पर्याप्त नहीं हैं; परिवार, समुदाय, स्थानीय शासन, स्वास्थ्य व्यवस्था और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के समन्वित पुनर्गठन की आवश्यकता है।

मुख्य शब्द: वृद्धावस्था, सामाजिक उपेक्षा, भारतीय परिवार, वृद्धजन, सामाजिक सुरक्षा, समाजशास्त्र, पारिवारिक परिवर्तन

1. प्रस्तावना

भारतीय समाज में वृद्धजन परंपरागत रूप से अनुभव, स्मृति, नैतिकता और पारिवारिक मार्गदर्शन के प्रतीक माने जाते रहे हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था में वृद्ध माता-पिता और दादा-दादी की भूमिका केवल आश्रित सदस्य की नहीं थी, बल्कि वे संपत्ति, निर्णय, संस्कार, पारिवारिक इतिहास और सामाजिक नियंत्रण के केंद्रीय स्रोत थे। किंतु आधुनिक भारत में वृद्धावस्था का सामाजिक अर्थ तेजी से बदल रहा है। औद्योगीकरण, नगरीकरण, शिक्षा, रोजगार-प्रवास, स्त्री-श्रम भागीदारी, आवासीय संकुचन और व्यक्तिवादी जीवन-शैली ने परिवार की संरचना और कार्य-प्रणाली दोनों को प्रभावित किया है। परिणामस्वरूप वृद्धजन कई बार उसी परिवार में उपेक्षित अनुभव करते हैं, जिसके निर्माण में उन्होंने अपना जीवन लगाया होता है।

भारत में वृद्धजन आबादी तीव्र गति से बढ़ रही है। UNFPA की India Ageing Report 2023 के अनुसार भारत में वृद्धजन आबादी 2022 में लगभग 149 million थी, जो 2050 तक 347 million तक पहुँचने का अनुमान है; इसी अवधि में 80 वर्ष से अधिक आयु की आबादी में लगभग 279% वृद्धि का अनुमान है [1]. यह परिवर्तन भारतीय परिवार व्यवस्था पर गहरा दबाव डालेगा, क्योंकि वृद्धावस्था में आर्थिक निर्भरता, दीर्घकालिक बीमारियाँ, गतिशीलता की कमी, देखभाल की आवश्यकता और भावनात्मक सहारे की जरूरत बढ़ती है। यदि परिवार और राज्य दोनों इस परिवर्तन के अनुरूप नहीं ढलते, तो सामाजिक उपेक्षा, अकेलापन, दुरुपयोग और परित्याग जैसे संकट अधिक तीव्र हो सकते हैं।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

वृद्धावस्था की सामाजिक उपेक्षा को केवल प्रत्यक्ष हिंसा या परित्याग के रूप में नहीं समझना चाहिए। इसमें भावनात्मक दूरी, निर्णयों से बाहर रखना, आर्थिक नियंत्रण, स्वास्थ्य-देखभाल की अनदेखी, डिजिटल बहिष्करण, पारिवारिक संवाद की कमी, संपत्ति-हस्तांतरण के बाद देखभाल से इंकार, तथा वृद्धजन को "अउत्पादक" मानने जैसी प्रवृत्तियाँ भी शामिल हैं। HelpAge India के 2024 संबंधी निष्कर्षों में यह तथ्य सामने आया कि जिन वृद्धजनों ने दुर्व्यवहार का अनुभव बताया, उनमें 94% ने कम-से-कम एक दीर्घकालिक बीमारी की सूचना दी; इससे स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्यगत निर्भरता और पारिवारिक शक्ति-संबंध वृद्ध उपेक्षा को बढ़ाते हैं [2].

समाजशास्त्रीय दृष्टि से यह विषय इसलिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वृद्धावस्था व्यक्तिगत समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना का दर्पण है। किसी समाज में वृद्धजनों की स्थिति से यह पता चलता है कि उस समाज में पीढ़ियों के बीच नैतिक अनुबंध कितना मजबूत है। भारतीय संदर्भ में यह प्रश्न और भी संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ परिवार को वृद्धजन-देखभाल की प्राथमिक संस्था माना गया है। National Policy on Older Persons, 1999 ने भी परिवार को वृद्धजनों की देखभाल की केंद्रीय इकाई माना, साथ ही राज्य-सहायता, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, सुरक्षा और शोषण से संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया [3].

2. साहित्य समीक्षा

वृद्धावस्था के समाजशास्त्रीय अध्ययन में कई दृष्टिकोण महत्त्वपूर्ण हैं। Disengagement Theory वृद्धावस्था को सामाजिक भूमिकाओं से क्रमिक दूरी की प्रक्रिया मानती है, जबकि Activity Theory यह प्रतिपादित करती है कि वृद्धजन की संतुष्टि सामाजिक सक्रियता, सहभागिता और भूमिका-निरंतरता से जुड़ी होती है [4], [5]. भारतीय समाज में Activity Theory अधिक उपयोगी प्रतीत होती है, क्योंकि यहाँ वृद्धजन की सामाजिक गरिमा परिवार, समुदाय, धार्मिक-सांस्कृतिक भागीदारी और पारिवारिक निर्णयों में सक्रिय उपस्थिति से निर्मित होती है। जब वृद्धजन को इन भूमिकाओं से अलग कर दिया जाता है, तब उपेक्षा केवल आर्थिक नहीं, बल्कि अस्तित्वगत और भावनात्मक संकट बन जाती है।

Cowgill और Holmes ने आधुनिकीकरण और वृद्धावस्था के संबंध को समझाते हुए कहा कि औद्योगीकरण, शहरीकरण और तकनीकी परिवर्तन वृद्धजनों की पारंपरिक प्रतिष्ठा को कम कर सकते हैं [6]. भारतीय संदर्भ में यह तर्क आंशिक रूप से लागू होता है। पहले परिवारों में भूमि, परंपरा और अनुभव वृद्धजनों की शक्ति का आधार थे; अब आय, तकनीकी दक्षता, औपचारिक शिक्षा और शहरी रोजगार सामाजिक शक्ति के नए स्रोत बन गए हैं। इस परिवर्तन ने वृद्धजनों की पारिवारिक उपयोगिता की धारणा को कमजोर किया है।

Longitudinal Ageing Study in India यानी LASI वृद्धजनों के स्वास्थ्य, आर्थिक और सामाजिक कल्याण पर भारत का महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय सर्वेक्षण है। LASI का उद्देश्य वृद्धावस्था को स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध, आर्थिक स्थिति और जीवन-संतोष के बहु-आयामी ढाँचे में समझना है [7]. NITI Aayog की Senior Care Reforms रिपोर्ट ने भी वृद्धजनों में स्वास्थ्य-बीमा कवरेज, दैनिक गतिविधियों की सीमाएँ, अवसादात्मक लक्षण और जीवन-संतोष जैसे संकेतकों को वृद्ध देखभाल नीति के लिए केंद्रीय माना है; रिपोर्ट में उल्लेख है कि केवल 18% वृद्धजन किसी स्वास्थ्य बीमा से आच्छादित थे, 24% में कम-से-कम एक ADL limitation और 48% में कम-से-कम एक IADL limitation दर्ज की गई [8].

भारतीय वृद्धावस्था में लैंगिक आयाम विशेष रूप से गंभीर है। वृद्ध महिलाओं में विधवापन, संपत्ति पर कमजोर नियंत्रण, आय की कमी, अकेले रहने की संभावना और स्वास्थ्य-समस्याएँ अधिक होती हैं। UNFPA ने स्पष्ट किया है कि वृद्ध महिलाओं में विधवापन और निर्भरता की स्थिति अधिक तीव्र है,

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

जिससे वृद्धावस्था की गरीबी लैंगिक रूप ग्रहण कर लेती है [1]. इस प्रकार वृद्ध उपेक्षा का अध्ययन लिंग, वर्ग, निवास, स्वास्थ्य और पारिवारिक संरचना को साथ लेकर ही किया जा सकता है।

3. अध्ययन के उद्देश्य

इस शोधपत्र के प्रमुख उद्देश्य हैं:

भारतीय परिवार व्यवस्था में वृद्धजनों की सामाजिक उपेक्षा के बदलते स्वरूप का समाजशास्त्रीय विश्लेषण करना।

वृद्धजन आबादी, निर्भरता, अपराध और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित द्वितीयक आँकड़ों का परीक्षण करना।

परिवार, राज्य और समुदाय की भूमिका को वृद्धजन-देखभाल के संदर्भ में समझना।

वृद्ध उपेक्षा को आर्थिक, भावनात्मक, स्वास्थ्यगत और संरचनात्मक कारकों से जोड़कर व्याख्यायित करना। वृद्धजन-हितैषी परिवार और नीति-व्यवस्था के लिए सुझाव प्रस्तुत करना।

4. शोध प्रविधि

यह अध्ययन मुख्यतः द्वितीयक आँकड़ों पर आधारित वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध है। अध्ययन में UNFPA, MOSPI, LASI, NITI Aayog, HelpAge India, NCRB, India Code और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से उपलब्ध रिपोर्टों और विधिक दस्तावेजों का उपयोग किया गया है। विश्लेषण में प्रतिशत परिवर्तन, चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर, तुलनात्मक अनुपात और सामाजिक संकेतकों की व्याख्या की गई है।

वृद्धजन आबादी की अनुमानित वृद्धि का विश्लेषण करने के लिए 2022 से 2050 तक की अवधि में CAGR निकाला गया। 2022 में 149 million और 2050 में 347 million वृद्धजन आबादी के आधार पर अनुमानित वार्षिक चक्रवृद्धि वृद्धि दर लगभग 3.07% प्राप्त होती है। इसी प्रकार 2023 से 2024 के बीच वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि 16.91% पाई गई। ये गणनाएँ केवल प्रवृत्ति की तीव्रता दिखाने के लिए प्रयुक्त की गई हैं; इन्हें कारणात्मक संबंध का प्रमाण नहीं माना गया है।

5. परिणाम एवं विश्लेषण

भारत में वृद्धजन आबादी की वृद्धि

भारत में वृद्धजन आबादी का विस्तार परिवार व्यवस्था पर दीर्घकालिक दबाव उत्पन्न कर रहा है। नीचे दी गई सारणी से स्पष्ट है कि वृद्धजन आबादी अगले दशकों में केवल संख्या के रूप में नहीं बढ़ेगी, बल्कि बहुत वृद्ध अर्थात 80+ आयु वर्ग की निर्भर आबादी भी तेजी से बढ़ेगी।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

तालिका 1: भारत में वृद्धजन आबादी की प्रवृत्तिसंकेतक	मान
वृद्धजन आबादी, 2022	149 million
अनुमानित वृद्धजन आबादी, 2050	347 million
2022–2050 अनुमानित CAGR	3.07%
2050 तक वृद्धजन आबादी का अनुमानित हिस्सा	20% से अधिक
2022–2050 में 80+ आबादी की अनुमानित वृद्धि	लगभग 279%

स्रोत: UNFPA India Ageing Report 2023 पर आधारित गणना [1].

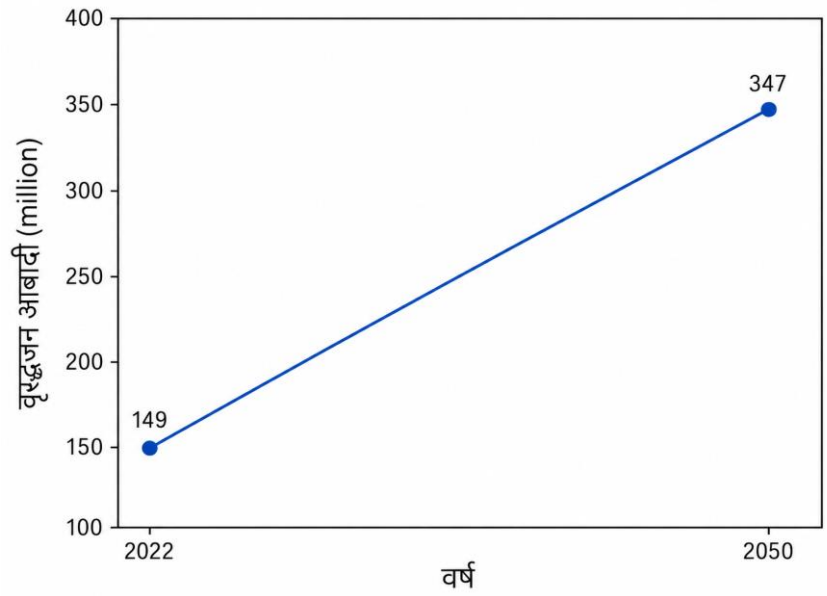

चित्र 1: भारत में वृद्धजन आबादी की अनुमानित वृद्धि, 2022–2050

यह वृद्धि केवल जनसांख्यिकीय घटना नहीं है। इसके साथ पेंशन, स्वास्थ्य-बीमा, घरेलू देखभाल, जेरियाट्रिक सेवाओं, मानसिक स्वास्थ्य, आवासीय व्यवस्था और पारिवारिक उत्तरदायित्व की नई चुनौतियाँ जुड़ती हैं। जब औसत परिवार छोटा होता जाता है और कामकाजी युवा शहरों या विदेशों की ओर जाते हैं, तब वृद्धजन की देखभाल का पारंपरिक ढाँचा कमजोर पड़ता है। इसलिए वृद्धावस्था की उपेक्षा को संयुक्त परिवार के विघटन के साथ-साथ श्रम-बाजार और आवासीय गतिशीलता से जोड़कर समझना चाहिए।

वृद्ध निर्भरता और परिवार पर सामाजिक दबाव

MOSPI की Elderly in India 2021 रिपोर्ट और संबंधित जनसंख्या अनुमानों में वृद्धजन आबादी की वृद्धि तथा old-age dependency ratio की बढ़ती प्रवृत्ति पर बल दिया गया है [9]. उपलब्ध अनुमानों के अनुसार old-age dependency ratio 2011 में 14.2 था और 2031 तक 20.1 तक पहुँचने की संभावना व्यक्त की गई है [10]. इसका अर्थ है कि कार्यशील आयु-वर्ग पर वृद्धजन निर्भरता का भार बढ़ेगा।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

तालिका 2: वृद्ध निर्भरता अनुपात की प्रवृत्ति

वर्ष	वृद्ध निर्भरता अनुपात
2011	14.2
2021	15.7
2031	20.1
2011–2031 परिवर्तन	41.55% वृद्धि

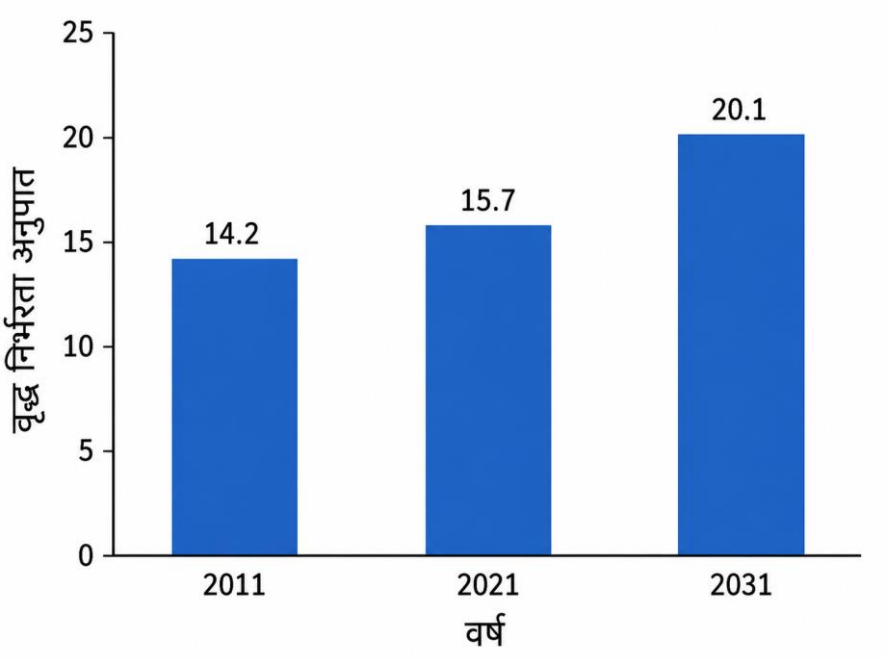

चित्र 2: भारत में वृद्ध निर्भरता अनुपात की वृद्धि

यह निर्भरता केवल आय पर आधारित नहीं है। वृद्धजन को दवा, अस्पताल, चलने-फिरने में सहायता, डिजिटल सेवाओं तक पहुँच, बैंकिंग, पेंशन, भावनात्मक संवाद और दैनिक निर्णयों में सहयोग की आवश्यकता होती है। परिवार यदि आर्थिक रूप से सीमित है या युवा सदस्य प्रवास में हैं, तो वृद्धजन की देखभाल अस्थिर हो जाती है। यही स्थिति उपेक्षा का आधार बनती है।

सामाजिक उपेक्षा, स्वास्थ्य और पारिवारिक संबंध

HelpAge India के निष्कर्ष बताते हैं कि वृद्ध दुर्व्यवहार का संबंध अक्सर स्वास्थ्यगत निर्भरता और आय की कमी से जुड़ा होता है। जिन वृद्धजनों ने दुर्व्यवहार का अनुभव बताया, उनमें 73% की वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम थी और 94% में कम-से-कम एक chronic disease दर्ज हुई [2]. यह स्थिति बताती है कि आर्थिक निर्भरता वृद्धजन की पारिवारिक सौदेबाजी शक्ति को कम करती है। जब वृद्धजन संपत्ति, पेंशन या आय पर नियंत्रण खो देते हैं, तो पारिवारिक सम्मान में गिरावट आ सकती है।

तालिका 3: वृद्ध उपेक्षा से जुड़े प्रमुख जोखिम संकेतक

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

संकेतक	उपलब्ध निष्कर्ष
दुर्व्यवहार अनुभव करने वाले वृद्धजनों में chronic disease	94%
दुर्व्यवहार अनुभव करने वालों में वार्षिक आय ₹1,00,000 से कम	73%
स्वास्थ्य-बीमा कवरेज वाले वृद्धजन	18%
कम-से-कम एक ADL limitation	24%
कम-से-कम एक IADL limitation	48%
depressive symptoms की सूचना	लगभग 1 in 3

स्रोत: HelpAge India और NITI Aayog Senior Care Reforms [2], [8].

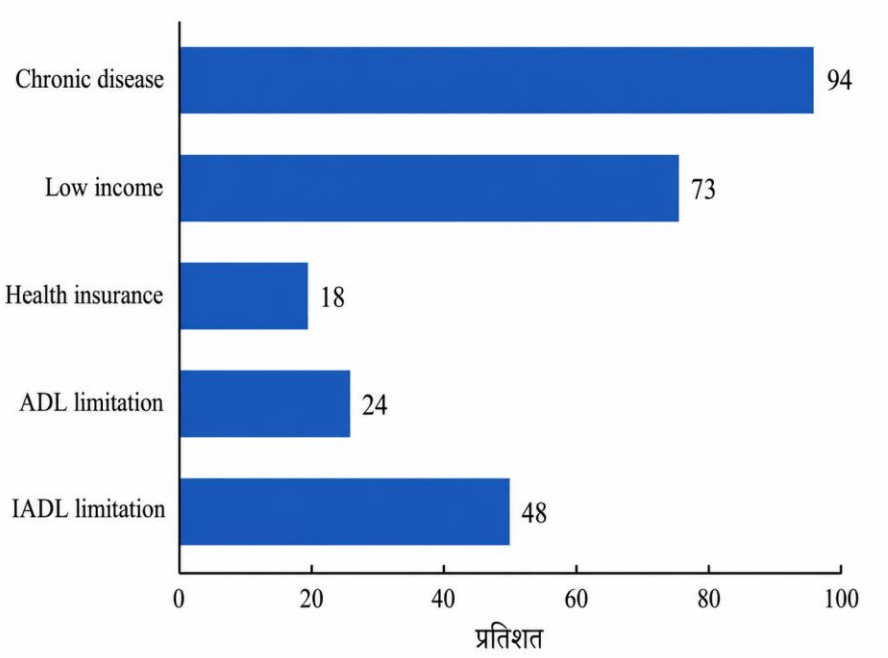

चित्र 3: वृद्ध उपेक्षा से जुड़े स्वास्थ्य और आर्थिक जोखिम संकेतक

परिवार व्यवस्था में वृद्ध उपेक्षा की सबसे सूक्ष्म अभिव्यक्ति भावनात्मक अनदेखी है। वृद्धजन को भोजन और रहने की जगह मिल जाने मात्र से देखभाल पूर्ण नहीं होती। यदि उनसे संवाद नहीं किया जाता, निर्णयों में सम्मिलित नहीं किया जाता, उनकी बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया जाता, या उन्हें परिवार के लिए बोझ समझा जाता है, तो यह सामाजिक उपेक्षा है। वृद्धजन के लिए "सम्मान" एक मनोवैज्ञानिक संसाधन है; इसके अभाव में अकेलापन, अवसाद और जीवन-संतोष में कमी आती है।

अपराध, असुरक्षा और वृद्धजन

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

वृद्धजन के विरुद्ध अपराधों में वृद्धि भारतीय समाज में वृद्धजन सुरक्षा की गंभीर समस्या को दर्शाती है। NCRB 2024 से संबंधित हालिया रिपोर्टों के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों के 32,602 मामले 2024 में दर्ज किए गए, जबकि 2023 में 27,886 मामले दर्ज हुए थे। इस आधार पर वृद्धि 16.91% है [11].

तालिका 4: वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराधों की वृद्धि

वर्ष	दर्ज मामले	परिवर्तन
2023	27,886	—
2024	32,602	+16.91%

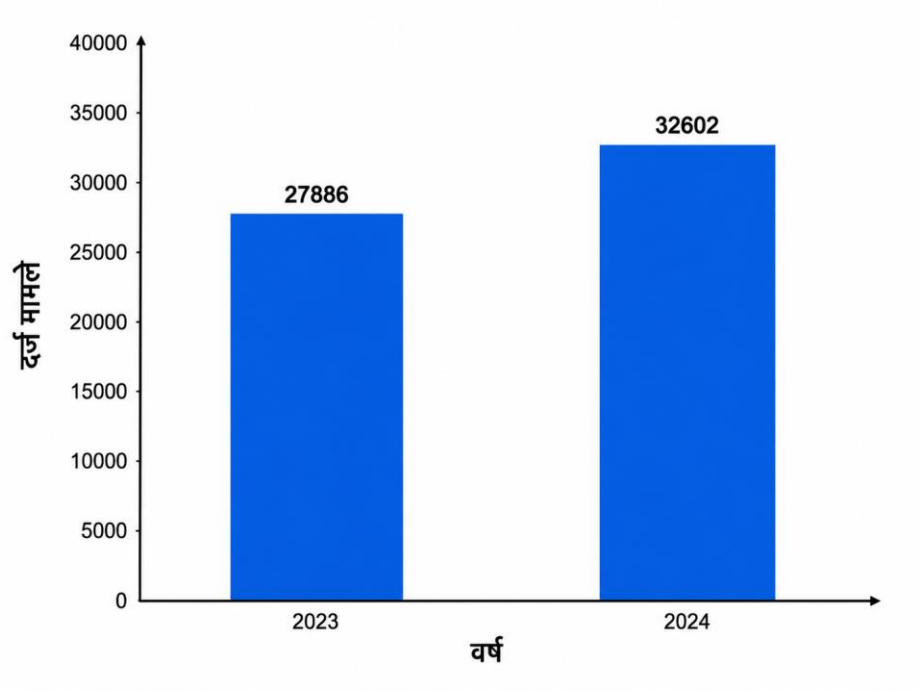

चित्र 4: वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध, 2023–2024

अपराधों की वृद्धि को केवल कानून-व्यवस्था की समस्या नहीं माना जा सकता। वृद्धजन कई बार घर के भीतर भी असुरक्षित होते हैं। संपत्ति विवाद, पेंशन पर नियंत्रण, अकेले रहना, देखभालकर्ता पर निर्भरता, डिजिटल धोखाधड़ी और स्वास्थ्यगत कमजोरी उन्हें संवेदनशील बनाते हैं। पुणे और तेलंगाना जैसे शहरी मामलों में परिवार द्वारा परित्याग, संपत्ति हस्तांतरण के बाद देखभाल से इंकार और Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 के अंतर्गत न्याय की माँग जैसी स्थितियाँ सामने आई हैं [12].

विधिक और नीतिगत संरक्षण

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 वृद्धजन अधिकारों की रक्षा के लिए एक प्रमुख विधिक साधन है। इस अधिनियम का उद्देश्य माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण के लिए कानूनी व्यवस्था प्रदान करना है [13]. यह अधिनियम वृद्धजनों को संतान या उत्तरदायी संबंधियों से भरण-पोषण प्राप्त करने का अधिकार देता है। परंतु व्यवहार में जागरूकता की कमी, सामाजिक संकोच, पारिवारिक दबाव और प्रशासनिक विलंब के कारण कई वृद्धजन इसका उपयोग नहीं कर पाते।

National Policy on Older Persons, 1999 ने वित्तीय सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय, शोषण से संरक्षण और जीवन-गुणवत्ता सुधार को नीति के केंद्र में रखा था [3]. इसके बावजूद भारत में वृद्धजन कल्याण अभी भी परिवार-निर्भर मॉडल पर अधिक आधारित है। यदि परिवार कमजोर होता है, तो वृद्धजन के पास तत्काल वैकल्पिक सहारा सीमित रह जाता है। यही कारण है कि वृद्धाश्रम, day-care centres, community-based care, home-based geriatric services और स्थानीय निकाय आधारित वृद्ध सहायता केंद्रों की आवश्यकता बढ़ रही है।

6. चर्चा

अध्ययन से स्पष्ट होता है कि वृद्धावस्था और सामाजिक उपेक्षा का संबंध बहुआयामी है। पहला आयाम जनसांख्यिकीय है। वृद्धजन आबादी तेजी से बढ़ रही है, जबकि परिवार का आकार घट रहा है। इससे परिवार के भीतर देखभाल का अनुपात बदल रहा है। पहले अनेक संतानें और संयुक्त परिवार वृद्ध देखभाल का सामूहिक ढाँचा बनाते थे; अब एकल परिवारों में एक या दो कमाऊ सदस्य पर बच्चों, ऋण, आवास, रोजगार और वृद्धजन देखभाल का संयुक्त दबाव रहता है।

दूसरा आयाम आर्थिक है। वृद्धजन यदि पेंशन, बचत, भूमि या संपत्ति पर नियंत्रण रखते हैं, तो परिवार में उनकी स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत रहती है। परंतु जिन वृद्धजनों की आय कम है या जो पूर्णतः संतान पर निर्भर हैं, वे उपेक्षा के अधिक जोखिम में होते हैं। वृद्ध महिलाओं की स्थिति अधिक जटिल है क्योंकि विधवापन, संपत्ति-अधिकार की कमजोर स्थिति और जीवनकाल की लंबाई उन्हें अधिक निर्भर बना सकती है।

तीसरा आयाम स्वास्थ्यगत है। chronic diseases, ADL और IADL limitations वृद्धजन की स्वायत्तता को कम करती हैं। जब परिवार में caregiving को श्रम के रूप में मान्यता नहीं मिलती, तब देखभालकर्ता तनाव, चिड़चिड़ापन और उपेक्षा की स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इस दृष्टि से वृद्ध उपेक्षा केवल "नैतिक पतन" नहीं, बल्कि care economy की अव्यवस्थित स्थिति भी है।

चौथा आयाम सांस्कृतिक है। भारतीय समाज में वृद्धजनों का सम्मान एक आदर्श के रूप में उपस्थित है, लेकिन व्यवहार में आधुनिक जीवन-शैली ने पीढ़ियों के बीच संवाद को कम किया है। डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन बैंकिंग, स्वास्थ्य ऐप, टिकट बुकिंग और सरकारी पोर्टल के दौर में वृद्धजन अक्सर युवा पीढ़ी पर निर्भर होते हैं। यदि इस निर्भरता को सहानुभूति के बजाय झुंझलाहट से देखा जाता है, तो डिजिटल विभाजन भी सामाजिक उपेक्षा का माध्यम बन जाता है।

पाँचवाँ आयाम विधिक और संस्थागत है। कानून उपलब्ध है, लेकिन वृद्धजन परिवार के विरुद्ध शिकायत करने से बचते हैं, क्योंकि इससे सामाजिक कलंक और भावनात्मक टूटन का डर रहता है। अतः वृद्धजन संरक्षण केवल न्यायाधिकरणों से नहीं होगा; इसके लिए पंचायत, वार्ड, आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, वरिष्ठ नागरिक संघ, धार्मिक-सामुदायिक संस्थाओं और पुलिस व्यवस्था के बीच समन्वय आवश्यक है।

7. निष्कर्ष

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

भारतीय परिवार व्यवस्था में वृद्धावस्था की सामाजिक उपेक्षा एक उभरता हुआ समाजशास्त्रीय संकट है। यह संकट संयुक्त परिवार के विघटन मात्र से उत्पन्न नहीं हुआ, बल्कि जनसांख्यिकीय वृद्धावस्था, आर्थिक निर्भरता, स्वास्थ्यगत कमजोरी, प्रवासन, डिजिटल विभाजन, लैंगिक असमानता और कमजोर सामाजिक सुरक्षा के संयुक्त प्रभाव से निर्मित हुआ है। भारत की वृद्धजन आबादी आने वाले दशकों में तीव्रता से बढ़ेगी; अतः यदि परिवार, समुदाय और राज्य ने समय रहते वृद्धजन-हितैषी ढाँचा विकसित नहीं किया, तो सामाजिक उपेक्षा व्यापक सामाजिक समस्या बन सकती है।

परिवार अभी भी भारत में वृद्धजन देखभाल की सबसे महत्त्वपूर्ण संस्था है, परंतु केवल नैतिक उपदेश से परिवारों को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता। उन्हें आर्थिक, स्वास्थ्यगत और सामुदायिक सहायता की आवश्यकता है। वृद्धजन के लिए नियमित स्वास्थ्य-जाँच, मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, day-care facilities, home-care support, pension coverage, health insurance, legal awareness और intergenerational dialogue programmes को स्थानीय स्तर पर लागू करना आवश्यक है। वृद्धजन को "निर्भर बोझ" के रूप में देखने के बजाय उन्हें ज्ञान, अनुभव और सामाजिक निरंतरता के स्रोत के रूप में पुनर्स्थापित करना ही भारतीय परिवार व्यवस्था के पुनर्संतुलन का आधार बन सकता है।

8. सुझाव

1. प्रत्येक जिले में वरिष्ठ नागरिक सहायता प्रकोष्ठ को स्वास्थ्य, कानूनी और परामर्श सेवाओं से जोड़ा जाना चाहिए।
2. Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 की जानकारी पंचायत और वार्ड स्तर तक पहुँचाई जानी चाहिए।
3. वृद्ध महिलाओं, अकेले रहने वाले वृद्धजनों और 80+ आयु वर्ग के लिए विशेष निगरानी और home-care सहायता विकसित की जानी चाहिए।
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में geriatric clinic दिवस निर्धारित किए जाने चाहिए।
5. परिवारों में intergenerational counselling और पारिवारिक संवाद कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
6. वृद्धजनों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान चलाया जाना चाहिए ताकि वे बैंकिंग, स्वास्थ्य और सरकारी सेवाओं से स्वतंत्र रूप से जुड़ सकें।
7. वृद्ध उपेक्षा को केवल पारिवारिक विवाद न मानकर सामाजिक न्याय और मानव गरिमा के प्रश्न के रूप में देखा जाना चाहिए।
8. संदर्भ

9. यूएनएफपीए इंडिया। इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023. नई दिल्ली: यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड, 2023।
10. हेल्पएज इंडिया। "विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस 2024 प्रेस विज्ञप्ति।" हेल्पएज इंडिया, 2024।
11. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार। "वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति।" प्रेस सूचना ब्यूरो, 2014।
12. कमिंग, ई., और हेनरी, डब्ल्यू. ई. ग्रोइंग ओल्ड: द प्रोसेस ऑफ डिसएंगेजमेंट. न्यूयॉर्क: बेसिक बुक्स, 1961।

© Copyright @ Authors

ISSN: 2349-4883
Peer Reviewed & Refereed Journal
Journal Website: www.nsmj.in

13. हैविघर्स्ट, आर. जे. "सक्सेसफुल एजिंग।" द जेरोंटोलॉजिस्ट, खंड 1, अंक 1, पृ. 8–13, 1961।
14. काउगिल, डी. ओ., और होम्स, एल. डी. एजिंग एंड मॉडर्नाइजेशन. न्यूयॉर्क: एप्पलटन-सेंचुरी-क्रॉफ्ट्स, 1972।
15. इंटरनेशनल इंस्टिट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज। लॉन्गिट्यूडिनल एजिंग स्टडी इन इंडिया (LASI) वेव 1: इंडिया रिपोर्ट. मुंबई: आईआईपीएस, 2020।
16. नीति आयोग। सीनियर केयर रिफॉर्म्स इन इंडिया: रीइमैजिनिंग द सीनियर केयर पैराडाइम. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2024।
17. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। एल्डरली इन इंडिया 2021. नई दिल्ली: भारत सरकार, 2021।
18. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2011–2036. नई दिल्ली: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 2020।
19. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। क्राइम इन इंडिया 2024. नई दिल्ली: गृह मंत्रालय, 2026।
20. द टाइम्स ऑफ इंडिया। "परिवारों द्वारा छोड़े जाने के बाद पुणे के वरिष्ठ नागरिकों ने कलेक्टर के द्वार पर दस्तक दी।" 2025।
21. भारत सरकार। माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007. नई दिल्ली: इंडिया कोड, विधि और न्याय मंत्रालय, 2007।

© Copyright @ Authors